



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा जोन की विभिन्न आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

**आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की
ई-नीलामी तिथि : 29.03.2022**

**ई-नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली
सम्पत्तियों हेतु ई-नीलामी पोर्टल**

<https://upavpauktion.procure247.com>

पंजीकरण अवधि :

16.03.2022 से 28.03.2022 तक

टोकन धनराशि जमा करने की अवधि :

16.03.2022 से 28.03.2022 तक

नोट:- ● प्रस्तावित ई-नीलामी तिथि से पूर्व दिवस तक जिन आवेदकों/बोलीदाताओं का ई-नीलामी के पोर्टल पर पंजीकरण तथा निर्धारित पंजीकरण/टोकन धनराशि परिषद के ई-नीलामी हेतु निर्धारित खाते में (ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से) जमा रहेगी, उनके द्वारा ही ई-नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकेगा। ● किसी भी ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नीलामी की नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आवास आयुक्त में निहित है। ● निर्माण संबंधी नियम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र. एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे। ● ई-नीलामी हेतु ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत विवरण यथा- शहर एवं योजना का नाम,
सम्पत्ति का प्रकार, क्षेत्रफल, आरक्षित दर एवं

नियम व शर्तें इत्यादि परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा
ई-पोर्टल <https://upavpauktion.procure247.com/> पर उपलब्ध है।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058

(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे)

टोल फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार)

प्रातः 10:00 से सायं 6:00, ई-मेल tapan@tender247.com;

mahesh.baku@procure247.com; helpdesk@procure247.com

